न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 26/2022 जीसीएमएस मु.न. 2022/51

अनवान

1. जबरसिंह पुत्र तगसिंह उम्र 47 वर्ष जाति–राजपुत, निवारी–कारोला।
2. जेठुसिंह पुत्र खेतसिंह उम्र 66 वर्ष जाति–राजपुत, निवारी–कारोला।
3. कानसिंह पुत्र जेठुसिंह उम्र 40 वर्ष, जाति–राजपुत, निवारी–कारोला।
4. पृथ्वीसिंह पुत्र पहाड़सिंह उम्र 46 वर्ष, जाति–राजपुत, निवारी–कारोला।
5. पदमसिंह पुत्र पहाड़सिंह उम्र 36 वर्ष, जाति–राजपुत, निवासी–कारोला।
6. भगवानसिंह पुत्र विरमसिंह उम्र 56 वर्ष जाति–राजपुत, निवासी–कारोला।
7. जोगसिंह पुत्र रिडमल सिंह उम्र 30 वर्ष, जाति–राजपुत, निवासी–कारोला तहसील–सांचौर।

वादीगण......

1. ओखीदेवी पत्नि नेथीराम जाति–रेबारी, निवासी–फालना।
2. गणपतराम पुत्र केसाराम जाति–रेबारी, निवासी–फालना।
3. भगाराम पुत्र केसाराम जति रेबारी, निवासी–फालना।
4. भागु पुत्री नेथीराम जाति–रेवारी, निवासी–फालना।
5. भागु पत्नी मेसाराम जाति–रेबारी, निवासी–धमाणा।
6. भीखी पुत्री नेथीराम जाति–रेबारी, निवासी–फालना।
7. मानाराम पुत्र केसाराम जाति–रेबारी, निवासी–फालना।
8. लीला पुत्री नेथीराम जाति–रेबारी, निवासी–फालना।
9. सांवलाराम पुत्र केसाराम जाति–रेबारी, निवासी फालना तहसील–सांचौर।
10. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

प्रतिवादीगण..........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री जालाराम पूनिया वादीगण अधिवक्ता।
2. प्रतिवादीगण 1 से 10 एकपक्षीय।

–: निर्णय :–

दिनांकः–12.02.2025

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। [illegible] वाद के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा–कारोला, पटवार हल्का कारोला के खसरा नम्बर 2005 रकबा 1.06 हैक्टर, ख.न. 2006 रकबा 1.29 हैक्टर, ख.न. 2007 रकबा 2.26 हैक्टर, ख.न. 2008 हैक्टर 1.81 हैक्टर, जुमले रकबा 6.42 हेक्टर के आये हुए है तथा इसी ग्राम के नवीन ख.न. 1999 रकबा 4.[illegible] हैक्टर के आये हुए है जिसके पुराने खसरा नम्बर 444 मी 44 बीघा 3 बिस्वा व 444/1 मी. 25 बीघा कुल 69 बीघा 3 बिस्वा थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि पुराना खसरा नम्बर 444 रकबा 69 बीघा 3 बिस्वा में से 25 बीघा 3 बिस्वा भूमि कोजराजसिंह पुत्र करणसिंह जाति–राजपुत, निवासी–कारोला से हम वादीगण सं. 2 जेठुसिंह व वादी सं. 4 पृथ्वीसिंह ने व वादी सं. 3 जबरसिंह के पिता तगसिंह ने व वादी सं. 7 जोगसिंह के पिता रिडमलसिंह पुत्र तगसिंह ने व सांवतसिंह पुत्र खेतसिंह ने जरिये बैचान रजिस्ट्री खरीद किया जिसका बैचाननामा दस्तावेज दिनांक 10.05.1985 को निष्पादित होकर दिनांक 11.05.1985 को पंजीबद्ध किया गया उक्त रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज के जरिये कब्जा भी खरीददार ने प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात सांवतसिंह ने अपना हिस्सा वादी सं. 6 भगवानसिंह के बैचान कर दिया हैं। तत्पश्चात उक्त पुराना खसरा नम्बर 444 में से देवीसिंह पुत्र कोजराजसिंह, शम्भुकंवर बैवा कोजराजसिंह, हरकु कंवर वैवा मनोहरसिंह, स्वय. एवं बहैसियत वली नाबालिंग श्री पूर्णसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह, जातियान–राजपुत, निवासीगण कारोला से वादी जबरसिंह पुत्र तगसिंह, पदमसिंह पुत्र पहाड़सिंह, कानसिंह पुत्र जेठुसिंह, व बलवंतसिंह पुत्र सांवतसिंह ने जरिये बैचान रजिस्ट्री 19 बीघा भूमि खरीद की थी जिसका वैचाननामा 13.01.1992 को निष्पादित होकर 14.01.1992 को पंजीबद्ध हुआ उक्त खरीदसुदा आराजी का जरिये वैचान रजिस्ट्री कब्जा प्राप्त किया तत्पश्चात बलवंतसिंह पुत्र सांवतसिंह ने अपना हिस्सा भगवानसिंह पुत्र विरमसिंह को बैचान कर दिया। उक्त खरीदसुदा आराजी का बाद जांच नामान्तरकरण संख्या 738 स्वीकृत होकर वादीगण के नाम 44 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी दर्ज हुई। मौके पर भी 44 बीघा 3 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा काश्त बदस्तुर है तथा वादीगण की ढाणीया, कुए, स्थित हैं।

3. यह है कि द्वितीय सेटलमेन्ट वालो ने रेकर्ड अपडेट करते वक्त वादीगण की उक्त खरीदसुदा भूमि 44 बीघा 3 बिस्वा के बराबर खातेदारी आधार जमाबंदी व मिसल बंदोबस्त द्वितीय में कॉलम सं. 4 खातेदार के नाम कॉलम में रकबा बैचान दस्तावेज के बराबर 25 बीघा 3 बिस्वा व 19 बीघा किया लेकिन 44 बीघा 3 बिस्वा के बराबर नही कर कॉलम सं. 7 व 8 नवीन खसरा व रकबा कॉलम में हेक्टर प्रणाली में 7.15 हेक्टर यानि 44 बीघा 3 बिस्वा दर्ज करनी थी जबकि खरीदसुदा भूमि से कम 6.42 दर्ज की जो 4 बीघा 3 बिस्वा यानि 0.73 हेक्टर भूमि हम वादीगण के खातेदारी भूमि में से कम कर दी। तथा इसी खसरे में से नेथी पुत्र अखा कौम रेबारी को 25 बीघा भूमि कोजराजसिंह पुत्र करणसिंह ने बैचान की थी। द्वितीय सेटलमेन्ट के वक्त रेकर्ड अपडेट करते वक्त लिपिकिय भुल से 25 बीघा की बजाय खातेदार केसा, नेथी पि० अखा कौम रेबारी, के खाते में नवीन खसरा नम्बर 1999 रकबा 4.77 हेक्टर यानि 29 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी जो खरीदसुदा भूमि से 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि ज्यादा बिना किसी सक्षम आदेश या हस्तान्तरण या विधिक प्रक्रिया के दर्ज कर दी जो ऐसा करने का द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारीयो को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। वादग्रस्त कम की गई भूमि का हस्तान्तरण, तर्क, बैचान आदि भी वादीगण ने प्रतिवादी या नेथी, केसा पि० अखा कौम रेबारी को [illegible] उक्त ज्यादा दर्ज की गई भूमि का अच्छा स्वत्व टाईटल, हक, हकूक प्रति[illegible]ण [illegible] हासिल नही होते हैं। जिससें खरीदसुदा भूमि से ज्यादा दर्ज किया [illegible] से अपास्त योग्य है तथा वादीगण प्रत्येक खरीद की गई भूमि के समानुपात कम हुई भूमि का कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा पूर्व रेकर्ड अनुसार व रकबा कॉलम में दर्ज रकबा अनुसार पाने का अधिकारी होने से दावा खातेदारी घोषणा का पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि वादग्रस्त भूमि का खरीद अनुसार हिस्से अनुसार मौके पर वादी का अलग–अलग कब्जा काश्त है, जिसमें रहवासीय ढाणी भी स्थित है, मौसम अनुसार वादीगण खेती बाडी करते आ रहा है तथा प्रतिवादीगण का मौके पर खरीद अनुसार 25 बीघा भूमि पर ही कब्जा काश्त है। लेकिन प्रतिवादीगण अपने खरीदसुदा भूमि से ज्यादा रकबा विधि विरूद्ध होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलंदाजी पैदा करते रहते है तथा बेदखल करने की ऐलानिया धमकीया देते रहते हैं। जिससें दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। दिनांक 02/03/2022 को प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जासुदा, खरीदसुदा खातेदारी भूमि में गिरोह के साथ मौके पर आये तथा वादीगण को प्रतिवादीगण ने ऐलानिया, धमकीयां दी, कि वादग्रस्त खेत से कब्जा खाली कर दो, इस खेत मे काश्त नहीं करनें देगें, वादग्रस्त भूमि किसी अनजान व्यक्ति को बैचान कर कब्जे से बेदखल करेगें। हमारे नाम भूमि खातेदारी दर्ज है वादीगण द्वारा मना करने पर नहीं माने। जिससे विनायवाद बमुकाम कारोला, में पैदा होनें से दावा हाजा पेश है। विनायवाद निरन्तर जारी है।

5. यह है कि सरहद मौजा कारोला, पटवार हल्का कारोला के खेत नवीन खसरा नम्बर 2005 रकबा 1.06 हैक्टर, ख.न. 2006 रकबा 1.29 हेक्टर, ख.न. 2007 रकबा 2.26 हैक्टर, ख.न. 2008 हैक्टर 1.81 हेक्टर, जुमले रकबा 6.42 हेक्टर के आये हुए है तथा इसी ग्राम के नवीन ख.न. 1999 रकबा 4.77 हैक्टर के आये हुए है जिसके पुराने खसरा नम्बर 444 मी 44 बीघा 3 बिस्वा व 444/1 मी. 25 बीघा कुल 69 बीघा 3 बिस्वा भूमि का जरिये वैचान रजिस्ट्री खरीद कर कब्जा प्राप्त करने तथा माफिक वैचान दस्तावेज खातेदारी अमलदरामद होने के पश्चात द्वितीय सेटमेन्ट वालो ने खात्ता धारक कॉलम में रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा व 19 बीघा कुल 44 बीघा 3 बिस्वा दर्ज कर दिया लेकिन नवीन खसरा व रकबा कॉलम में इसके बराबर रकबा हेक्टर प्रणाली में यानि 7.15 हेक्टर दर्ज नहीं कर राजस्व रैकर्ड रकबा कॉलम में 6.42 हेक्टर दर्ज कर 0.73 हेक्टर भूमि कम दर्ज कर दी तथा प्रतिवादीगण के खाते में 4.04 हेक्टर के बजाय 4.77 हेक्टर भूमि यानि 0.73 हेक्टर भूमि खरीद रकबा से ज्यादा दर्ज कर दी जो गलत व विधि विरूद्ध दर्ज की हैं। जिससें वादीगण दोनो वैचान रजिस्ट्री व खरीदसुदा अनुसार खातेदारी पाने के हकदार होने से खातेदारी घोषणा खरीद रकबा दोनो रजिस्ट्री के समानुपात डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण की डिक्री जारी फरमायें।

6. यह है कि प्रतिवादीगण वादीगण को अपने खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि रकबा 7.15 हेक्टर भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे न ही कब्जेकाश्त से बलपूर्वक बेदखल न करे तथा वादीगण को काश्त करनें में अवरोध प्रतिवादीगण न तो स्वयं करे तथा न ही अन्य किसी से करावें। [obscured by signature overlay] कायम वर्षो पुरानी माठो मे रदो बदल नही करें। उपरोक्त कृत्य प्रतिवादी[obscured] करे न ही अन्य किसी मजदुर, ऐजेन्ट, प्रतिनिधी आदि से करावे [obscured] डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण, जारी फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.03.28 15:58:22 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रकरण दिनांक 05.04.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाकर तलब किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से लगातार 10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

8. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पेश कर गवाह करवाने गये जो इस प्रकार से है।

हस्तगत प्रकरण में वादी की ओर से गवाह पीडब्लयू 1 जेठूसिंह पुत्र खेतसिंह ने उपस्थित न्यायालय होकर अपने बयान लेखबद्व करवाये जो जमाबंदी खाता संख्या 342 ईएक्सपी–1, ट्रैस नक्शा ईएक्सपी–2 है तथा खाता संख्या 53 जमाबंदी ईएक्सपी–3 है, मिसल बन्दोबस्त ईएक्सपी–4 है, जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 ईएक्सपी–5 है, नामान्तरकरण संख्या 321 ईएक्सपी–6 है, जमाबंदी सवत् 2033 से 2036 ईएक्सपी–7 है, नामन्तरकरण संख्या 419 ईएक्सपी 8 है, जमाबंदी सर्वत् 2033 से 2039 ईएक्सपी 9 है, जमांबदी संवत् 2037 ईएक्सपी 10 है, नामान्तरकरण संख्या 638 ईएक्सपी–11 है, नामान्तकरण संख्या 633 ईएक्सपी–12 है, मिसल बंदोबस्त द्वितीय ईएक्सपी 13 है, मिलान क्षेत्रफल ईएक्सपी–14 है, बैचान दस्तावेज ईएक्सपी–15 है व फोटो प्रति ईएक्सपी–15ए है, बैचान दस्तावेज दिनांक 13.01.1992 ईएक्सपी–16 फोटो प्रति ईएक्सपी–16ए है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 342 ईएक्सपी–17 है। मृत्यु प्रमाण पत्र रिडमलसिंह का ईएक्सपी–18 है व फोटो प्रति ईएक्सपी–18ए है, आधार कार्ड ईएक्सपी 19 फोटो प्रति ईएक्सपी–19ए है। वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 53 ईएक्सपी–20 है।

इसी प्रकार गवाह जोगसिंह पुत्र रिड़मलसिंह ने उपस्थित न्यायालय होकर अपने बयान लेखबद्व करवाये जिसमें बताया के माफिक बैचान दस्तावेज खातेदारी अमल दरामद होने के पश्चात द्वितीय सेटलमेन्ट वालो नें खाता धारक कॉलम में रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा व 19 बीघा कुल 44 बीघा 3 बिस्वा दर्ज कर दिया, लेकिन नवीन खसरा व रकबा कॉलम में इसके बराबर रकबा हैक्टर प्रणाली में यानि 7.15 हैक्टर दर्ज नही कर राजस्व रेकर्ड में रकबा कॉलम में 6.42 हैक्टर दर्ज कर 0.73 हेक्टर भूमि कम दर्ज कर दी तथा प्रतिवादीगण के खाते में 4.04 हैक्टर के बजाय 4.77 हैक्टर भूमि यानि 0.73 हैक्टर भूमि खरीद रकबा से ज्यादा गलत व विधि विरूद्ध दर्ज कर दी। जिससे खरीदसुदा भूमि से ज्यादा दर्ज किया गया रकबा का इन्द्राज विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय योग्य है। जिससे वादीगण दोनो बैचान रजिस्ट्री व खरीदसुदा अनुसार खातेदारी पानें के हकदार है। यह है कि प्रतिवादीगण हम वादीगण को अपने खरीदसुदा, कब्जासुदा भूमि रकबा 7.15 हेक्टर भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें तथा न ही कब्जेकाश्त से बलपूर्वक बेदखल करें, वादीगण को काश्त करनें में अवरोध न तो प्रतिवादीगण स्वयं पैदा करें तथा न ही अन्य किसी से करावें। वादीगण के हिस्से के मौके पर कायम वर्षों पुरानी मांठो में रदो बदल नहीं करें करनें हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावें। दावे के समर्थन में जमाबन्दी, बैचान दस्तावेज की फोटो प्रति, नामान्तरण, मिसल बन्दोबस्त द्वितीय, नक्शा, आधार कार्ड, इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य [illegible] स्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण साक्ष्य बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:58:22 IST
Reason: SelfAttested

9. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। [illegible] अधिवक्ता वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया कि मौजा [illegible] के खेत खसरा नम्बर 2005, ख.न. 2006, ख.न. 2007, ख.न. 2008, ख.न. 1999 में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

10. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तोवेजात् से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा जरिये बैचान रजिस्ट्री 69 बीघा 3 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा बैचान दस्तावेजात खातेदारी अमल दरामद होने के बाद द्वितीय सेटलमेंट में खाता धारक कॉलम में रकबा 25 बीघा 3 बिस्वा व 19 बिघा कुल 44 बिघा 3 बिस्वा दर्ज कर दिया गया लेकिन नवीन खसरा व रकबा कॉलम में इसके बराबर रकबा यानि 7.15 दर्ज करनी थी, जिसे राजस्व रेकर्ड में 6.42 हैक्टेयर ही दर्ज की गई, तथा 0.73 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज की गई तथा प्रतिवादीगण के खाते में 4.04 हेक्टेयर के बजाय 4.77 हेक्टेयर भूमि दर्ज की अर्थात 0.73 हेक्टेयर भूमि खरीद रकबा से ज्यादा दर्ज कर दी गई जिसमें वादीगण द्वारा बैचान रजिस्ट्री अनुसार 0.73 हेक्टेयर भूमि कम दर्ज की, अतः वादीगण 0.73 हेक्टेयर की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी होने तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

11. उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा कारोला के ख.स. 1999 रकबा 4.77 में से 0.73 हेक्टेयर भूमि वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है तथा प्रतिवादीगण के खाते में से रकबा 0.73 हेक्टेयर भूमि कम की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काष्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जावे। उक्तानुसार निर्णय की डिक्री पर्चा जारी किया जावे तथा तहसीलदार सांचौर को इस निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करे।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.28 15:38:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner